[2020] 2 एस.सी.आर. 1182

मेसर्स ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड

बनाम

भारत संघ व अन्य

(सिविल अपील संख्या 593-594/2020) 23 जनवरी, 2020

[न्यायमूर्तिगण नवीन सिन्हा और कृष्ण मुरारी]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962:

सीमा शुल्क - से छूट - हकदारी - 19.05.1992 से पहले जारी किए गए एक अग्रिम लाइसेंस के तहत राजस्व आयातित माल का एक हिस्सा 25.11.1993 से पहले आयात किया गया था और बाकी उसके बाद - निर्धारिती ने सीमा शुल्क अधिसूचनाओं दिनांक 19.05.1992 के संदर्भ में सीमा शुल्क से छूट मांगी थी। राजस्व ने उन खेपों के हिस्से के संबंध में सीमा शुल्क से छूट की अनुमति दी जो वास्तव में 25.11.1993 से पहले आयात किए गए थे यानी अधिसूचना की तारीख से छूट वापस ले ली गई थी, शेष माल के संबंध में छूट का दावा खारिज कर दिया गया था, जो दिनांक 25.11.1993 के बाद 18.3.1994 की स्पष्टीकरण अधिसूचना का कोई संदर्भ दिए बिना आयात की गई थी, जिसके तहत कुछ नियमों और शर्तों के अधीन सीमा शुल्क के बिना रसायन के आयात की अनुमति दी गई थी।निर्धारिती की रिट याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई - पुनरीक्षण याचिका में उच्च न्यायालय ने कहा चूंकि निर्धारिती ने स्पष्टीकरण अधिसूचना प्रस्तुत नहीं की थी और न ही राजस्व/राज्य को उस अधिसूचना के बारे में पता था, इसलिए निर्धारिती किसी भी राहत का हकदार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में अपील - माना गया: स्पष्टीकरण अधिसूचना के मद्देनजर निर्धारिती सीमा शुल्क से छूट का हकदार है - राज्य प्राधिकारियों के लिए यह तर्क देना बिल्कुल भी उचित नहीं है कि उन्हें अपनी अधिसूचना यानी स्पष्टीकरण अधिसूचना के बारे में जानकारी नहीं थी - जिम्मेदारी बहुत हद तक राज्य पर है - राज्य एक निजी वादी की तरह व्यवहार नहीं कर सकता है और प्रमाण के बोझ के अमूर्त सिद्धांतों पर भरोसा नहीं कर सकता है।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए

अवधारित किया: 1- पूरी खेप 19.05.1992 से पहले याचिकाकर्ता को जारी एक अग्रिम लाइसेंस के तहत आयात की गई थी। खेप का एक हिस्सा वास्तव में 25.11.1993 से पहले आयात किया गया था और उसके बाद का बाकी हिस्सा स्पष्टीकरण अधिसूचना दिनांक 18.03.1994 के अनुसार शायद ही प्रासंगिक हो कि छूट निर्दिष्ट नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन लागू रहेगी। उत्तरदाताओं का मामला यह नहीं है कि बाद में आयातित खेप छूट के नियमों और शर्तों को पूरा नहीं करती थी। [पैरा 8][1186 ए-सी]

2. उच्च न्यायालय ने यह मानकर गंभीर गलती की कि राज्य के अधिकारी भी स्पष्टीकरण अधिसूचना से अनभिज्ञ थे और न ही अपीलकर्ता ने इसे रिकॉर्ड पर लाया। राज्य सबसे बड़ा वादी है। न्याय प्रदान करने में न्यायालय की सहायता करना इसका एक गंभीर और संवैधानिक कर्तव्य है। राज्य एक निजी वादी की तरह व्यवहार नहीं कर सकता और सबूत के बोझ के अमूर्त सिद्धांतों पर भरोसा नहीं कर सकता। राज्य अपने अधिकारी के माध्यम से कार्य करता है जिन्हें विश्वास में शक्तियाँ दी जाती हैं। यदि इस प्रकार जताए गए विश्वास के साथ विश्वासघात किया जाता है, चाहे लापरवाही से या आकस्मिकता से, तो भी राज्य अपने

अधिकारियों द्वारा उन पर जताए गए विश्वास को धोखा देकर ऐसे दुर्व्यवहार के लिए उत्तरदायी होगा या अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होंगे। राज्य प्राधिकारियों के लिए यह तर्क देना कतई उचित नहीं है कि उन्हें अपनी दिनांक 18.09.1994 की अधिसूचना के बारे में जानकारी नहीं थी। जिम्मेदारी बहुत हद तक उन पर है और राज्य की उदासीनता से मुकदमेबाजी पैदा करने वाले एक आकस्मिक बयान को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। [पैरा 9][1186 ई-एच; 1187-ए]

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जुगल किशोर (1988) 1 एससीसी 626 - पर भरोसा किया गया।

श्री कृष्णा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (2004) 173 ईएलटी 14 - स्वीकृत।

केस लॉ रेफरेंस (2004) 173 ईएलटी 14 स्वीकृत पैरा8 (1988) 1 एससीसी 626 पैरा 10 पर निर्भर

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 593- 594 /2020.

पुनरीक्षण रिट पिटीशन एम०पी० 10198/2017 में तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 14.06.2017 से और रिट याचिका संख्या 8937/2001 में आदेश दिनांक 07.12.2016 मे रिट पिटीशन सं० 8937/2001 । सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2020] 2 एस.सी.आर.

अपीलकर्ता की ओर से बी . आदिनारायण राव, वरिष्ठ अधिवक्ता, डी. भरत कुमार, तडिमल्ला भास्कर गौतम, अमन शुक्ला, अभिजीत सेनगुप्ता, अधिवक्ता।
उत्तरदाता की ओर से सुश्री रुक्मिणी बोबड़े, सुश्री वंशजा शुक्ला, सुश्री तनीषा सामंत, बी. कृष्णा प्रसाद, अधिवक्ता।

न्यायाधीश नवीन सिन्हा द्वारा निर्णय सुनाया गया।
1. अनुमति स्वीकृत.

2. अपीलकर्ता दिनांक 07.12.2016 और 14.06.2017 के आदेशों से व्यथित है , जिसमें रिट याचिका और उससे उत्पन्न पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र को भी खारिज कर दिया गया है।

3. अपीलकर्ता ने वर्ष 1993 के दौरान तीन बिल एंट्री 290, 291 और 300 दिनांक 01.12.1993, 01.12.1993 और 14.12.1993 के तहत 96 टन रसायन "एसिटिक एनहाइड्राइड" का एडवांस लाइसेंस योजना के तहत अंतर्देशीय जल कंटेनर डिपो (आईसीडी), हैदराबाद के माध्यम से आयात किया था। इसने सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 203/1992, 204/1992, दोनों दिनांकित 19.05.1992 के संदर्भ में आयात शुल्क से मुक्त खेप की निकासी का दावा किया। अधिसूचना में कुछ मानदंडों और शर्तों को पूरा करने के अधीन सीमा शुल्क के भुगतान के बिना आयात की अनुमति देने वाली एक योजना शामिल थी। अधिसूचना संख्या . 203/1992 और 204/1992 को एक अधिसूचना संख्या 183/1993 दिनांक 25.11.1993 द्वारा संशोधित किया गया था , जिसके द्वारा उक्त माल आयात शुल्क के लिए उत्तरदायी हो गया , छूट वापस ले ली गई। दिनांक 25.11.1993 की अधिसूचना को एक अन्य स्पष्टीकरण अधिसूचना संख्या 105/1994 दिनांक 18.03.1994 द्वारा संशोधित किया गया था जो कि कुछ नियमों और शर्तों के अधीन सीमा शुल्क के बिना रसायन के आयात की अनुमति देता है। अपीलकर्ता जैसे आयातकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण अधिसूचना आवश्यक थी, जिन्होंने

संशोधन अधिसूचना संख्या 183/1993 दिनांक 25.11.1993 से पहले विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी अग्रिम लाइसेंस के तहत रसायन का आयात किया था।

4. अपीलकर्ता को शुल्क के भुगतान के बिना उपरोक्त तीन प्रवेश बिलों के तहत खेप को मंजूरी देने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद उत्तरदाताओं ने 25.11.1993 के बाद आयातित समान खेपों के संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 (1) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया। अपीलकर्ता ने छूट की मांग करते हुए 20.11.1997 को एक अभ्यावेदन दिया। इसे भी अन्य तीन खेंपो बिल प्रवेश सं० 312 दिनांक 12.09.1993, बिल प्रवेश सं० 28 दिनांक 10.02.1994 और बिल प्रवेश सं० 27 दिनांक 09.02.1994 के तहत माना गया । पूरी खेप एक ही अग्रिम लाइसेंस के तहत आयात की गई थी। कारण बताओ नोटिस के अनुसरण में अपीलकर्ता को दिनांक 12.2.1998 के आदेश द्वारा तीन प्रवेश बिल संख्या 290, 291 और 300 दिनांक 01.12.1993, 01.12.1993 और 14.12.1993 के तहत खेप के संबंध में शुल्क के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। हालाँकि ये भी उसी अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत थे। उत्तरदाताओं ने कारण बताओ नोटिस के जवाब पर विचार करते समय और सीमा शुल्क के भुगतान के लिए दायित्व तय करते समय अपनी अधिसूचना दिनांक 18.03.1994 का कोई संदर्भ नहीं दिया। आयुक्त (अपील) ने उसी तर्क पर अपील को खारिज कर दिया जिसके परिणामस्वरूप रिट आवेदन की स्थापना हुई।

5. रिट आवेदन को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने राय दी कि छूट के लिए कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। खेपों को स्वीकार्य रूप से 25.11.1993 के बाद और 18.03.1994 की स्पष्टीकरण अधिसूचना से पहले आयात किया गया था। इस प्रकार , प्रतिवादी की ओर से कोई मनमानी नहीं हुई। अपीलकर्ता ने अन्य बातों के साथ -साथ श्री कृष्णा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, (2004) 173 ईएलटी 14 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के आदेश पर भरोसा करते हुए एक पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र को प्राथमिकता दी। याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि अपीलकर्ता ने रिट याचिका के साथ स्पष्टीकरण अधिसूचना प्रस्तुत नहीं की और न ही उत्तरदाताओं को स्पष्टीकरण अधिसूचना के बारे में पता था, अपीलकर्ता किसी राहत का हकदार नहीं था।

6. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री बी . आदिनारायण राव ने कथन किया कि दिनांक 18.03.1994 की स्पष्टीकरण अधिसूचना के बावजूद 19.05.1992 से पहले प्राप्त अग्रिम लाइसेंस के तहत 25.11.1993 के बाद वास्तव में आयातित खेप पर छूट से इनकार किया गया। अपीलकर्ता को सीमा शुल्क के लिए उत्तरदायी ठहराना पूरी तरह से ठीक नही है। श्री कृष्णा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (सुप्रा) में आदेश के विरुद्ध दायर की गई विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 14288/2004 (सीसी संख्या 5418/2004) को खारिज कर दिया गया। केवल अधिसूचना की प्रति संलग्न करने में विफलता राहत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती। वैधानिक अधिसूचनाओं के मद्देनजर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में छूट से इनकार करना मनमाना था।

7. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया और आग्रह किया कि छूट वापस लेने के बाद और स्पष्टीकरण अधिसूचना जारी होने से पहले आयात की गई खेप उचित थी। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2020] 2 एस.सी.आर.

8. हमने पक्षों की ओर से दलीलों पर विचार किया है और हमारी सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय का आदेश पूरी तरह से स्थिर रहने योग्य नहीं है। पूरी खेप याचिकाकर्ता को 19.05.1992 से पहले जारी एक अग्रिम लाइसेंस के तहत आयात की गई थी। आकस्मिक

परिस्थिति यह है कि खेप का कुछ हिस्सा वास्तव में 25.11.1993 से पहले आयात किया गया था और बाकी बाद में 18.03.1994 की स्पष्टीकरण अधिसूचना के मद्देनजर शायद ही प्रासंगिक है कि छूट निर्दिष्ट नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन लागू रहेगी। . उत्तरदाताओं का मामला यह नहीं है कि बाद में आयातित खेप छूट के नियमों और शर्तों को पूरा नहीं करती थी। श्री कृष्णा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (सुप्रा) में, उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

"7,…जाहिर है, याचिकाकर्ता को अग्रिम लाइसेंस योजना के तहत सीमा शुल्क का भुगतान करने से छूट की सुविधा प्राप्त थी, लेकिन अधिसूचना दिनांकित 25.11.1993 के जरिए उस पर रोक लगा दी गई और बाद में एक अन्य स्पष्टीकरण अधिसूचना के माध्यम से इसे अधिसूचना दिनांक 18.3.1994 द्वारा बढ़ाया गया था। इस प्रकार, चूंकि सरकार ने स्वयं अपनी दूसरी अधिसूचना में छूट प्रदान करते हुए स्पष्ट किया है , हम यह मानने को बाध्य हैं कि याचिकाकर्ता सभी तीन खेपों के लिए छूट का हकदार होगा , जब तक कि तीनों खेप अग्रिम लाइसेंस योजना के तहत आयात की जाती हैं। इसके अलावा, यह उत्तरदाताओं का मामला नहीं है कि ये तीन खेप अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं"

9. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च न्यायालय इसी तरह के मामले में अपने ही आदेशों का पालन करने में विफल रहा। उच्च न्यायालय ने यह मानकर गंभीर गलती की कि राज्य के अधिकारी भी स्पष्टीकरण अधिसूचना से अनभिज्ञ थे और न ही अपीलकर्ता इसे रिकॉर्ड पर लाया। जैसा कि अक्सर देखा गया है कि, राज्य सबसे बड़ा वादी है। न्याय प्रदान करने में न्यायालय की सहायता करना इसका एक गंभीर और संवैधानिक कर्तव्य है। राज्य एक निजी वादी की तरह व्यवहार नहीं कर सकता और सबूत के बोझ के अमूर्त सिद्धांतों पर भरोसा नहीं कर सकता। राज्य अपने अधिकारी के माध्यम से कार्य करता है जिन्हें विश्वास में शक्तियाँ दी जाती हैं। यदि इस प्रकार जताए गए विश्वास के साथ विश्वासघात किया जाता है, चाहे लापरवाही से या आकस्मिकता से, तो भी राज्य अपने अधिकारियों द्वारा उन पर जताए गए विश्वास को धोखा देकर ऐसे दुर्व्यवहार के लिए उत्तरदायी होगा या अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होंगे। हमारी सुविचारित राय में राज्य प्राधिकारियों के लिए यह तर्क देना कतई उचित नहीं है कि उन्हें अपनी दिनांक 18.03.1994 की अधिसूचना के बारे में जानकारी नहीं थी। राज्य पर जिम्मेदारी बहुत अधिक है और राज्य की उदासीनता से मुकदमेबाजी पैदा करने वाले एक आकस्मिक बयान को मंजूरी नहीं दी जा सकती।

10. हम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जुगल किशोर, (1988) 1 एससीसी 626 से निम्नलिखित उद्धरण को उद्धृत करने से बेहतर कुछ नहीं कर सकते हैं, जो इस प्रकार है: -

"10. केस से अलग होने से पहले हम बीमा कंपनियों द्वारा अक्सर अपनाए जाने वाले पालिसी की एक प्रति ट्रिब्यूनल के समक्ष और यहां तक कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में दाखिल न करने के रवैये का संदर्भ लेना जरूरी समझते हैं जैसा कि इस मामले में भी अपनाया गया था। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिनियम के तहत मुआवजे के दावेदारों के पास हमेशा पॉलिसी या उसकी कोई प्रति नहीं होती है। इस न्यायालय ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि यह उस पक्ष का कर्तव्य है जिसके पास दस्तावेज़ है जो उक्त दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने के कारण न्याय करने में सहायक होगा और ऐसे पक्ष को सबूत के बोझ के अमूर्त सिद्धांत के पीछे आश्रय लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह कर्तव्य अपीलकर्ता जैसे राज्य के सहायकों के मामले में अधिक है, जो निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए बाध्य हैं। कई मामलों में वाहन का मालिक भी अपने ज्ञात कारणों से पॉलिसी या उसकी प्रति प्रस्तुत नहीं करना चुनता है। हम तदनुसार इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि ऐसे सभी

मामलों में जहां बीमा संबंधित कंपनी दावा याचिका में बचाव करना चाहती है कि उसका दायित्व उस वैधानिक दायित्व से अधिक नहीं है जिसे अपनी सुरक्षा के साथ बीमा पॉलिसी की एक प्रति दायर करना चाहिए। इस मामले मे भी ऐसा किया जाना चाहिए था जिससे सिविल अपील में इस न्यायालय में जाने से संभवतः बचा जा सकता था। इसलिए, पॉलिसी की एक प्रति दाखिल करने से न केवल टालने योग्य मुकदमेबाजी कम हो जाती है, बल्कि अदालत को पक्षों के बीच न्याय करने में भी मदद मिलती है। निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए राज्य या उसके उपकरणों की ओर से दायित्व पर कभी भी अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है।"

11. इसलिए विवादित आदेशों को अस्थिर माना जाता है और रद्द कर दिया जाता है। अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

अपील स्वीकार की गई।

Digitally signed by RAM BILASH SINGH
Date: 2023.11.03 13:28:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,sitapur